तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5	पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुके है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 14/6 को प्रस्तुत हो।
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] मय वकील प्रार्थी उपस्थित [illegible] बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 17/6/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर
17/6/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] मय वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] आदेश [illegible] 144 व 151 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [signature] सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर

ा प्रस्तुत होने के पश्चात पुनः तहसीलदार खींवसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई, र ने अपनी रिपोर्ट का मनन करने से ताईद होता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने धोरा देने हेतु खडा खोद कर मिटी निकाल रहा था और उक्त कार्य अपनी राथलखुर्द का खसरा नबंर 568/303 रकबा 11.11 बीघा में से 00.05 बिश्वा में से हेतु मिटी निकाली थी तथा न तो पूर्व में और नहीं अभी वर्तमान में अवेध खनन तथा न ही अभी किसी प्रकार का अवैध खनन है और उक्त भूमि वर्तमान में खाली

की पूर्वी सींव के सहारे सहारे कुल साईज 85 48 फीट में गढढे विधमान है पुराने हैं उक्त भू भाग में स्थित गढढे दो अलग अलग गहराई में है। एक गढढा जो धरातल से 1 फीट गहरा है जबकि दूसर गढढा छोटा व धरातल से 3 फीट स सींव पर रेत का छोटा धोरा बनाया हुआ है

सरा नबंर 568/303 रकबा 1.8696 हैक्टेयर मे बिन्दू सं. 3 में उल्लेखित अनुसार ा में गढढे है। खेत का बाकी भाग समतल है जिसमें किसी प्रकार के खनन या उपयोग परिवर्तित किये जाने के निशान नहीं है।

विवेचन एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर जा भेड़ के ख.न. 568/303 रकबा 11.11 बीघा में से 05 बिश्वा में ही अवैध खनन में नहीं था, इस प्रकार अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अ. 1955 म 01 एवं धारा 114 प्रार्थना पत्र अधीन धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करना होता है अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश जारी किया जाता है कि :–

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अ. 1955 आदेश 47 नियम 01 एवं धारा 114 ीन धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा बैराथल खुर्द के खसरा 3 रकबा 1.8696 हैक्टेयर यानि रकबा 11.11 बीघा में से 00.05 बिश्वा जो मूल 11.09.2015 को प्रस्तुत के साथ नजरी नक्शा में दर्शाया गया लाल स्यही जो 00.05 ष आराजी रकबा 11.06 बीघा की खातेदारी पुनः श्री जवन्ताराम, भैराराम पुत्र नेनाराम न नेनाराम जाति कुम्हार निवासी बेराथल खुर्द के नाम खातेदारी घोषित की जाती इसी रकबे की शेष आराजी 00.05 बिश्वा भूमि जिसमें से अवेध खनन हुआ है वो भूमि अनुसार सिवायचक में घोषित रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद क्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

– उक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो इसकी पालना कर तीन योम में अवगत करावें।

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

आदेश आज दिनांक : 17-6-21 .2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर बनाम जवंताराम मु.न. 04/2018

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम खींवसर
व इजलास श्री राजकेश मीना, आर ए एस

:–

ान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर

बनाम

दी :–

ी जवन्ताराम पुत्र नेनाराम (वगैराह) जाति कुम्हार निवासी बैराथलखुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर

ा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम मुकद्दमान द संख्या :–70/2018 यह मुकद्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब तिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अ. 1955 आदेश 47 नियम 01 एवं धारा 114 पत्र अधीन धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा बैराथल खुर्द के खसरा 68/303 रकबा 1.8696 हैक्टेयर यानि रकबा 11.11 बीघा में से 00.05 बिश्वा जो मूल दिनांक 11.09.2015 को प्रस्तुत के साथ नजरी नक्शा में दर्शाया गया लाल स्यही जो 00.05 ड़कर शेष आराजी रकबा 11.06 बीघा की खातेदारी पुनः श्री जवन्ताराम, भैराराम पुत्र नेनाराम की पत्नि नेनाराम जाति कुम्हार निवासी बेराथल खुर्द के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा इसी रकबे की शेष आराजी 00.05 बिश्वा भूमि जिसमें से अवेध खनन हुआ है वो भूमि देश दिनांक 02.01.2018 के अनुसार सिवायचक में घोषित रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड ल दरामद किया जावें।उक्त आदेश की पालना तत्काल की जावें। पालना कर पालना से तीन अवगत करावें। **उक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार पालना कर तीन योम में अवगत करावें।**

खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर........................ ....लीत........................मुबलिक.................बाबात..............खर्चा ....का अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक ात के आज तारीख ....17-6-21........

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह साबूत			मेहनताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहन		
गवाहन			फीस कमीश्नर		
कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
र्रिक			मीजान		

राजकेश मीना RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर